न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 01 / 2019 GCMS No:- 2019/00063

सरकार जरिये भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर 302005 (राजस्थान)

...प्रार्थी

बनाम

Sh. Kishore Sakhrani S/o Bhughromal Sakhrani **FBO & Owner** M/s K.C & Brothers, G-167, Heerawala Industrial Area, Road no. 5, kanota Bassi, Jaipur 303012
Residence: Plot No. 5, Krishna Nagar, Brahmpuri, Jaipur Mob:- 9829014185

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 18 / 05 / 2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री भानूप्रताप सिंह गहलोत दिनांक 06.06.2018 को समय 5:25 पी.एम. पर M/s K.C & Brothers, G-167, Heerawala Industrial Area, Road no. 5, kanota Bassi; Jaipur पहुंचे, वहां पर श्री किशोर सखरानी पुत्र स्व. श्री भूगरोमल सखरानी मिले, श्री किशोर सखरानी ने अपने स्वयं को M/s K.C & Brothers, G-167, Heerawala Industrial Area, Road no. 5, kanota Bassi, Jaipur का खाद्य करोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विकय अनुज्ञा पत्र बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान के निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त संस्थान में आम जनता को विकय हेतु **Namkeen (prepared in refined palm oil)** लगभग 100 किलोग्राम रखी थी, में अमानक का शक होने पर 2 किलो ग्राम **Namkeen (prepared in refined palm oil)** खाद्य करोबारकर्ता एवं मालिक श्री किशोर सखरानी को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जांच खरीदी, जिसकी कीमत 145/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य करोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहान कि हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतिया तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे किशोर सखरानी एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विकेता खाद्य करोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Namkeen** को विकेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखे प्लास्टिक जार दिखाकर उक्त खरीदशुदा (prepared in

18/5/22
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

refined palm oil) को प्रत्येक जार में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक जार पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं स्टेट डी.ओ. जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर ईई–1552 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार हस्ताक्षर करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रैपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य करोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री किशोर सखरानी एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर, सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की छः प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग स्टेट डी.ओ. एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को स्टेट डी.ओ. एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक 228 दिनांक 27.06.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/927/एक्ट/2018/1025 दिनांक 20.06.2018 के अनुसार खाद्य करोबारकर्ता एवं मालिक द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Namkeen (prepared in refined palm oil)** सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर ने पत्र कमांक/ एफएसएसए /सीटी/स्वीकृति/2019/43 दिनांक 16.04.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टैण्डर्ड **Namkeen (prepared in refined palm oil)** का विक्रय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी प्रतिनिधि श्री राजेश परनामी उपस्थित आये। जिन्होनें अपना जवाब दिनांक 18.02.2021 को पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ **Namkeen (prepared in refined palm oil)** सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। राज्य केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित मानक अनुसार सही पायी गयी है। वर्तमान में अप्रार्थी के संस्थान में खाद्य पदार्थ बनाने से पूर्व क्रय किये गये खाद्य तेल की गुणवत्ता की जांच करवा कर ही उपयोग में लिया जा रहा है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो, अप्रार्थी द्वारा संस्थान मैसर्स के.सी. ब्रदर्स छोटे कस्बे (कानोता, बस्सी) में चलाया जा रहा है। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/5/22

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर